(428/1)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383 /03/76/एक/2018–19 दिनांक : 07 फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–आगरा।

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50147974848	IFSC Code ALLA0210126	**432.419**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	आगरा	म0ब0–83	नगर नि0 आगरा	मलिन बस्ती धाकरान में अन्य गलियों में गोविन्द रेस्टोरेन्ट से महेशचन्द, महेशचन्द से अतर सिंह, अतर सिंह से सुरेन्द्र सिंह, अतर सिंह के सामने मन्दिर तक, अतर सिंह से माया, अशोक वाली गली, प्रेम वाली गली, प्रेम से अशोक तक, अशोक से सार्वजनिक शोचालय तक, अशोक से बिल्ला तक, बिल्ला से पुष्पेन्द्र तक, पुष्पेन्द्र से शोकत अली, बाबूलाल से बगीची तक, बगीची से राममूर्ति, सीताराम मन्दिर से चौपाल एवं चौपाल से रावली महोदेव स्वीट तक नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	31.313	50%
2	आगरा	म0ब0–83	नगर नि0 आगरा	मलिन बस्ती गुलाब नगर में अन्य गलियों में केशव से डी0डी0 गर्ग, डी0डी0 गर्ग से खाली प्लाट तक, खाली प्लाट से मनोज तक, रामबाबू से बाबूलाल, द्रोपती से शेर सिंह, घनीराम से छोटेलाल, मनीश शर्मा से मनोज तक एवं जतिन मेडीकल स्टोर से कीरथ कुमार में नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20.352	50%
3	आगरा	म0ब0–83	नगर नि0 आगरा	मलिन बस्ती जसवन्त नगर शाहदरा में सियाराम से भगवती, सियाराम से रमा शंकर, दिलीप वाली गली, दिलीप से राजवीर, मुकेश से सूबेदार, रमादेवी से नन्द किशोर, मनोज वाली गली, नन्द किशोर वाली गली, गोपाल से जया देवी एवं	44.565	50%

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7 / 23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				सतीश से डालचन्द तक नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य।		
4	आगरा	म0ब0–83	नगर नि0 आगरा	मलिन बस्ती महादेवी नगर टेढ़ी बगिया में दवेकी नन्दन से मोहन, मोहन से विश्म्बर, हरेन्द्र से हर बिलास, हरेन्द्र से कम्तान सिंह, कप्तान सिंह वाली गली, शकील से वीरेन्द्र, किरन से पप्पू तक, किरन से बी0डी0 पब्लिक स्कूल एंव किरन से चन्द्रपाल तक नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	41.304	50%
5	आगरा	म0ब0–83	नगर नि0 आगरा	मलिन बस्ती नई आबादी प्रकाश नगर यमुनापार में जय प्रकाश से नाले तक, राम प्रकाश से कलुआ तक, पूरन से महेन्द्र, नैना से बबलू, महेन्द्र से रेखा देवी, पूरन वाली गली, कलुआ से नाला, जितेन्द्र से धनश्याम होते हुये नाले तक, सुरेश से बाबू, भरौसीलाल से जितेन्द्र, ऐदल सिंह से राजू, लाखन सिंह से सुन्दरलाल, सुन्दरलाल से पिन्टू, पिन्टू से मूलचन्द एवं सून्दरलाल से नरेश गलियों में नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	39.218	50%
6	आगरा	म0ब0–83	नगर नि0 आगरा	मलिन बस्ती नीबूलाल की ठार प्रकाश नगर यमुना पार में केशव से नेमीचन्द, किशनलाल से संजय, भँवर सिंह से कप्तान सिंह, सुनहरी देवी से फौरन सिंह, फूल सिंह से भगवान सिह, गोपालदास से बाबूजी तक, बनवारीलाल से नाहर सिंह एवं गोपीचन्द से अभय शंकर में नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य	35.561	50%
7	आगरा	म0ब0–83	न0नि0 आगरा	मलिन बस्ती सुभाषराम बोदला में हाकिम सिंह से साबू, साबू से गंगा, गंगा से प्रताप सिंह, राजेश से राना डेरी तक, राजेश से विनोद, रज्जो हलवाई से भूपेन्द्र एवं भूपेन्द्र से सुनली तोमर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.867	50%
8	आगरा	म0ब0–83	न0नि0 आगरा	मलिन बस्ती बसई खुर्द में लोकेश से सरबन, सन्त एस0आर0 इण्टर कालेज सररवन, कान्ता देवी के सामने चौक, कान्ता देवी से एस0 आर0 सी0 स्कूल, गुडडू से प्रेम सिंह, सूरज के मकान से सामने से ज्ञानचन्द तक, मुकेश से प्रेम सिंह, प्रेम सिंह से ज्ञानचन्द, सूरज से लक्ष्मनदास, लक्ष्मनदास से शंकर, उदल सिंह से भगवान सिंह, लक्ष्मनदास से आसिम, केलाश से संजय, संजय से विशम्भर, विशम्भर से ब्रेकरी, अन्तराम से हीरालाल, बन्टू से राजवीर एवं राजवीर से रमेश में नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य	25.170	50%

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
9	आगरा	म0ब0–83	न0नि0 आगरा	मलिन बस्ती सरस्वती बिहार में केदार से ओमवीर, ओमवीर से अनिल, बच्चू सिंह से उमेश, नेत्रपाल से गुलाब सिंह एवं दिवान सिंह से राम सिंह बघेल में नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य	28.715	50%
10	आगरा	मु0अ0–37	न0पं0 फतेहाबाद	मलिन बस्ती राम नगर में फतेहसिंह से कालीचरन, हर नरायन वाली गली एवं अरविन्द से राम अवतार में नाली व इण्टरलौकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	20.721	50%
11	आगरा	मु0अ0–37	न0 नि0 आगरा	वार्ड नं0 49 मो0 मलिन बस्ती भगवती विहार राहुल नगर में रमेश चन्द वाली गली, बन्टी से रफीक, उषा वाली गली, रजनीश से बन्टी, ओम प्रकाश से रवि, सिन्धी वाली गली, खाली प्लाट से भगवान सिंह, रूप सिंह से शारदा देवी, पूरन सिंह से बिहारी, खाली प्लाट से रूप सिंह, लौंग श्री से राज बहादुर, राज बहादुर से इतवारीलाल छेदीलाल वाली गली, कुवॅर सैन से हरीओम, अनीता से राजवीर, अमर सिह से सौनेराम, पप्पू से पंकज, जगदीश पाराशर से निर्मल, खाली प्लाट से पप्पू, जल सिंह से हरी सिंह, छेदीलाल से सुभाष, सुभाष से खाली प्लाट, राम कैलाश से हरी सिंह, मूलचन्द से खाली प्लाट, सत्यप्रकाश से प्रमोद कुमार, बच्चू सिंह से खाली प्लाट में नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	115.633	50%
	योग				432.419	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिशित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक